कार्यवाही विवरण

M/s L N Steel And Alloys Private Limited द्वारा Village Badiadih & Lamti, Tehsil-Patharia, District-Mungeli (C.G.) में प्रस्तावित Establishment of Greenfield Steel comprising of Pellet Plant of 4,95,000 TPA, Gasifier for Pellet plant 21000 Nm3/Hr, DRI Kilns to produce Sponge Iron of (4x250 TPD) 3,30,000 TPA, Induction Furnaces along with LRF & CCM to produce Hot Billets/MS Billets/Ingots of 2,97,000 TPA, Rolling Mill along with reheating furnace to produce TMT bars/ Structural Steel of 3,30,000TPA (through 85% Hot charging with Hot Billets and remaining 15% through RHF with LDO), Gasifier for Reheating Furnace 2970 Nm3/Hr, Oxygen Plant-4 TPD, Ferro Alloys Unit (2x9MVA-(Fe-Si-14000 TPA/Fe-Mn-40,000 TPA/Si-Mn-28000 TPA/Fe-Cr-30,000 TPA/Pig Iron-48,000 TPA), Brick Manufacturing Unit-60,000 Bricks/Day,Briquetting Plant 200 Kg./Hr., Power generation through WHRB of (4x7.5MW), 30 MW and through FBC based Power Plant of (1x10MW)-10 MW के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् **दिनांक 25/04/2025, समय 11:00 बजे, स्थान–ख. नं. 2,3,4,5, ग्राम–बड़ियाडीह, पहनं.15, तहसील–सरगांव, जिला–मुंगेली (छ.ग.)** में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के तहत् M/s L N Steel And Alloys Private Limited द्वारा Village Badiadih & Lamti, Tehsil-Patharia, District-Mungeli (C.G.) में प्रस्तावित Establishment of Greenfield Steel comprising of Pellet Plant of 4,95,000 TPA, Gasifier for Pellet plant 21000 Nm3/Hr, DRI Kilns to produce Sponge Iron of (4x250 TPD) 3,30,000 TPA, Induction Furnaces along with LRF & CCM to produce Hot Billets/MS Billets/Ingots of 2,97,000 TPA, Rolling Mill along with reheating furnace to produce TMT bars/ Structural Steel of 3,30,000TPA (through 85% Hot charging with Hot Billets and remaining 15% through RHF with LDO), Gasifier for Reheating Furnace 2970 Nm3/Hr, Oxygen Plant-4 TPD, Ferro Alloys Unit (2x9MVA-(Fe-Si-14000 TPA/Fe-Mn-40,000 TPA/Si-Mn-28000 TPA/Fe-Cr-30,000 TPA/Pig Iron-48,000 TPA), Brick Manufacturing Unit-60,000 Bricks/Day,Briquetting Plant 200 Kg./Hr., Power generation through WHRB of (4x7.5MW), 30 MW and through FBC based Power Plant of (1x10MW)-10 MW के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र **हरिभूमि,** बिलासपुर में दिनांक **22/03/2025** तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र **हिन्दुस्तान टाईम्स,** नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक **22/03/2025** को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई **दिनांक 25/04/2025, समय 11:00 बजे, स्थान–ख. नं. 2,3,4,5, ग्राम–बड़ियाडीह, पहनं.15, तहसील–सरगांव, जिला–मुंगेली (छ.ग.)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14/09/2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी.

(साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–मुंगेली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय, जिला पंचायत मुंगेली, जिला–मुंगेली, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पथरिया, जिला–मुंगेली, महाप्रबंधक, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मुंगेली, जिला–मुंगेली, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत–सरगांव, जिला–मुंगेली, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, **सरपंच/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत–लमती, बड़ियाडीह, दरूवनकांपा, धूमा, बासीन, चंद्रखुरी, किरना, मदकू, मोहभट्ठा, तहसील–सरगांव, जिला–मुंगेली (छ.ग.),** डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिनों के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों संबंधी कोई भी मौखिक अथवा लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुए।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि **दिनांक 25/04/2025, समय 11:00 बजे, स्थान–ख. नं. 2,3,4,5, ग्राम–बड़ियाडीह, पहनं.15, तहसील–सरगांव, जिला–मुंगेली (छ.ग.)** में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–मुंगेली द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से उद्योग प्रतिनिधि **श्री राजू कुमार पाठक, मैनेजर कर्मशियल** के द्वारा M/s L N Steel And Alloys Private Limited द्वारा Village Badiadih & Lamti, Tehsil-Patharia, District-Mungeli (C.G.) में प्रस्तावित Establishment of

Greenfield Steel comprising of Pellet Plant of 4,95,000 TPA, Gasifier for Pellet plant 21000 Nm3/Hr, DRI Kilns to produce Sponge Iron of (4x250 TPD) 3,30,000 TPA, Induction Furnaces along with LRF & CCM to produce Hot Billets/MS Billets/Ingots of 2,97,000 TPA, Rolling Mill along with reheating furnace to produce TMT bars/ Structural Steel of 3,30,000TPA (through 85% Hot charging with Hot Billets and remaining 15% through RHF with LDO), Gasifier for Reheating Furnace 2970 Nm3/Hr, Oxygen Plant-4 TPD, Ferro Alloys Unit (2x9MVA-(Fe-Si-14000 TPA/Fe-Mn-40,000 TPA/Si-Mn-28000 TPA/Fe-Cr-30,000 TPA/Pig Iron-48,000 TPA), Brick Manufacturing Unit-60,000 Bricks/Day,Briquetting Plant 200 Kg./Hr., Power generation through WHRB of (4x7.5MW), 30 MW and through FBC based Power Plant of (1x10MW)-10 MW के परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–मुंगेली द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री राजकुमार दिवाकर, ग्राम–दरूवनकांपा आश्रित ग्राम लम्ती** :– मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यहां जो अभी खोले है। एल एन स्टील प्रा0 लि0 का मै घोर विरोध करता हूॅ कि नहीं खुलना चाहिए। कारण हम लोग खेती किसानी करने वाले है। अगर ये खुल जाता है तो हमारा फसल बर्बाद हो जायेगा और डस्ट से पूरा बर्बाद हो जायेगा। जहां उद्योग खुले है वहां के आसपास के एरिया पूरा चौपट हो जाता है। तो मैं इसका घोर विरोध करता हूॅ। कि यहां ये जो एल एन स्टील प्रा0 लि0 लग रहा है। वो नहीं लगना चाहिए। मेरे से ज्यादा यहां बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी प्रशासन के जो है कलेक्टर महोदय उनको भी मालूम है। बहुत पढे लिखे रहते है। उनको भी पता है कि खेती में बहुत प्रभावित करेगा। अगर सही क्षेत्र होता उसमें खेती किसानी का वो नहीं रहता है वो साईड खुल सकता है यहां मजदूर लोग ज्यादा है। खेती पर ही आदमी ज्यादा निर्भर है। तो मै इसका घोर विरोध करता हूॅ। कि यहां प्लांट नहीं लगना चाहिए।

2. **श्री आशाराम राजपूत, ग्राम–लम्ती** :– हम लोग यहां पर खेती किसानी करते है। यहां पर हमारे ग्राम लम्ती का पूरा किसान चाहता है इसको नहीं खुलना चाहिए। पूरा विरोध करते है हम लोग ग्राम लम्ती से हमारे गांव से जितने लोग आये है। सब इसको विरोध करते है कि यहां हम लोग किसान है यहां पर अपना जीवन व्यापन खेती में करते है। डस्ट पूरा खेत में गिरेगा पूरा धान यहां पर नहीं हो पाएगा।

3. **श्री राजेश कुमार यादव, ग्राम—लम्ती, दरूवनकांपा पंचायत** :— स्टील प्लांट खुल रहा है। हम लोग किसान है खेती करते है। इसका धूल—धक्कड खेती के लिए हानिकारक है। ग्रामवासी सभी बोलते है हर एक आदमी से नहीं बोल सकते, राय यही है कि यहां पर फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

4. **श्री अश्वनी राजपूत, ग्राम—लम्ती** :— ये जो खुलत हे वो हमर बर बहुत हानिकारक है। काबर हमन ला खेती किसानी करना है। पानी कांजी की बहुत तकलीफ है हमन ला। ये नहीं खुलना चाहिए।

5. **श्री रशीद खान, ग्राम—सरगांव** :— बाहर में खडे है रोड के तरफ उनसे मेरा निवेदन है कि यहां जन सुनवाई है यहां आप लोगों का मौका है। अगर आप लोग बाहर रहोगे तो किसी के उपर इल्जाम न लगाओ। कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा हाथ जोड के निवेदन है कि आए पंडाल में पंडाल में आकर कुर्सी में बैठे और बैठकर अपना विचार रखे। नया विचार नहीं रखना है मजबूती के साथ रखना है। क्योंकि एक बार नहीं कई बार हम धोखा खा चुके है। हम लोगों को सुनने के लिए मौका दिया आप लोगों ने एक बोर्ड लगाया है पत्रकार महोदय का जो यहां पर पत्रकार महोदय होंगे। देख रहे होंगे कि पूरा पत्रकार चेम्बर खाली है। क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ हो आप। आज जो बात उठेगी आप लोग के जरिए उपस्थित यहां पर जो हमारे उच्च अधिकारी उपस्थित नहीं है। आप लोगो से भी मेरा हाथ जोड के निवेदन है कि पत्रकार बंधु अगर बाहर है। आकर यहां पर बैठे, लागों की परेशानी, लोगों का दुख दर्द इस क्षेत्र में झेलते आ रहे सरगांव परिक्षेत्र कहते है 56 गांव 35 या 36 पंचायत है। इसके पहले हम लोग आप लोग आंदोलन कर चुके है। कुसुम प्लांट के बारे में रामबोर्ड में आंदोलन किये। आखिर में एक ऐसा हादसा हुआ। इस हादसे को छत्तीसगढ़ के रूप में काला दिवस के रूप में जाना जाता है। उस हादसे से 4 दिन बाद मलमा साफ हो सका। आप लोग ही कहते थे कि इसको किसी कबाडी को दे दो तो रातो रात काट के ले जायेगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भाग्य में हमारे साथ ऐसा कार्य नहीं हो सकता। कि हमारी जान को बचाया जा सके। हमारे भाईयो की मृत्यु हो गई है। उनके बाडी को सही सलामत निकाला जा सके। आज फिर एक प्लांट डलने वाला है। इसका विरोध मै रशीद खान सरगांव मुंगेली जिले के सचिव अखिल भारतीय किसान पंचायत परिसर के तरफ से मैं इसका विरोध करता हूॅ। अगर इस प्लांट को यहां से डलने से रोका जाये जैसा की समाचार के जरिये से पता चला कि 9 गांव के सरपंच लिखित में इसका विरोध कर चुके है। हर सरपंच के साथ पूरी पब्लिक पूरी जनता है। कि मैं

ये मानता हूँ कि इसको हमारे जिम्मेदार जो हमारे सुख दुख का ख्याल रखते है। निवेदन करता हूँ। कि इस जन सुनवाई के माध्यम से उन सरपंचो के आवेदन को ध्यान में रखते हुए और हम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस फैक्ट्री की चालू होने में रोक लगाई जाये। जो कि कुसुम प्लांट रामबोर्ड में डला है। और मेरे एक भाई बोले कि खेतो में डस्ट जमेगा। हमारे गांव में सरगांव में पनपिया तालाब के नाम से मशहूर है। जहां की पानी है हमारी बेटी, बहू हमारी मॉ, बहन हमारी दादी हमारी नानी है तालाब से पीने के लिए पानी भरा करती थी। हमारे गांव का नियम था कि किसी कि बेटी बहू बर्तन भी धो दे तो 50 रूपया जुर्माना के तौर पर लिया जाता था। आज जाकर देखिए कि उस तालाब का पानी उस प्लांट के कारण काला डस्ट सुबह जाओंगे तो पूरा एक लेयर काला डस्ट जमा रहता है। हमारे घर में जाओगे सामने दरवाजे से से बॉडी तक चप्पल उतार के आपका पैर काला हो जायेगा। एक फैक्ट्री से इतनी परेशानी है तो दूसरी फैक्ट्री जो खुल रही है। उसमें ये मालूम हुआ है 22 गांवो के लोगों का प्यास बुझने का, पानी का प्रोगाम पहला चरण शुरू हो चुका है। अगर इस फैक्ट्री को नहीं रोका जाता है तो उस पानी के प्लांट को रोक दीजीये ताकि शासन का पैसा बेकार में न जाये। पब्लिक जिस चीज से उम्मीद लगा कर बैठी है उसकी उम्मीद पर पानी न फिरे, ये सबसे बडी बात ये है कि हर कोई जानते है। यहां पर तालागांव रूद्र शिव मूर्ति जहां निकली है और मदकूदीप हमारे मुंगेली जिला और छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक जगह है दोनों सबसे ज्यादा खतरा इनको है। आज इसी बात पे हमारे मीडिया वाले भाई होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में इसी बात से भूचाल मचा हुआ है। इसको भी ध्यान में रखते हुए इस फैक्ट्री को खुलने से रोका जाये और गांव में किसानों को राहत दी जाये। क्योकि आगे चलकर किसानो के पास बहुत बडी समस्या पैदा होगी। जैसे रामबोर्ड में समस्या पैदा हो चुकी है। किसान जाता है कहने वाले, जवाब देने वाले, शिकायत करने जाता है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम जमीन बेचे हो, तुम इजाजत दिये हो। तुम विरोध नहीं करें, आज क्यो बोल रहे हो जाओ मरो। चाहे सडो। कहते है करो या मरो का नारा, नारे पर हमारा देश आजाद हुआ। मैं आप लोगों से सभी ग्रामीण किसानों भाईयो बहनो से कहना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ भी करना पडे। उस चीज के लिए हम लोग विरोध करेंगे। शांतीपूर्ण विरोध करेंगे, और चाहे जितना भी धरना देना पडे। धरना देना पडे लेकिन फैक्ट्री खुलने नहीं देंगे। अपने बच्चो के भविष्य को देखों। जमीन हमारी मां है धरती मां, नारा लगाते है छत्तीसगढ़ महतारी की जय। वो महतारी की हिफाजत कौन करेगा, आप लोग जाग जाओ अभी भी वक्त है। इस क्षेत्र के लिए जनता को ध्यान में रखते हुए। इस फैक्ट्री को चालू करने की इजाजत न दी जाये। और कहीं

भविष्य में रामबोर्ड जैसा होता है इसके जिम्मेदार इस फैक्ट्री को चालू कराने वाले होंगे।

6. **श्री राम कुमार साहू, ग्राम–दरूवनकांपा** :– प्लांट खुलना नहीं चाहिए।

7. **श्री घसियाराम घृतलहरे, ग्राम–उमरिया, पूर्व विधायक प्रतिनिधि वर्तमान जिला महामंत्री मुंगेली, सतनामी समाज कोषाध्यक्ष** :– मैं निवेदन करता हूॅ यहां की जनता की समस्या के संबंध में आज बहुत दुख की बात है। आपके बीच में पंच सरपंच जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद एक नेता आता है फोटो खिचाने के लिए मंच में जाते है कार्यकर्ता को जाने का मौका नहीं मिलता है। आज हमर जनता के हमर किसान के हित के लिए जितना अधिकारी/कर्मचारी बैठे है। उनके बीच में हमारे नेता लोग को आना चाहिए, और हमारे जनता की समस्या का निदान करना चाहिए। आज एक भी जनता और नेता नहीं आये है। ये बहुत दुख की बात है। जैसे कुसुम प्लांट में देखे हो कितना बडा समस्या, कितना बडा राधा माधव में देखे हो कितना धूल जा रहा है वहां, अगर भूल से फैक्ट्री बन गया। आसपास के किसान के खेती में उपजाऊ नहीं रहेगा। ये बात को आप सोच लो समझ लो मैं इस फैक्ट्री के खुलने के घोर निंदा करता हूॅ। यहां नहीं खुलना चाहिए। और हमारे भोले भाले किसान ये नहीं होना चाहिए कि हमारे छोटे–छोटे बच्चा स्कूल आने–जाने सरगांव से आते जाते है। धूल, कीचड़ जो भी समस्या होगा। इसमें बहुत दुख की बात है। मैं सभी नेता लोग को भी कहना चाहता हूॅ कि आये हम ही लोग बनाते है जनपद, जिला, विधायक आज हमारे समस्या में आवो। वही जनता एक दिन आप को बतायेगा। ये चीज आप मान के देख लो। मैं आपको बताना चाहता हूॅ कि किसी भी शर्त में यहां पर फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

8. **श्रीमती कमलेश्वरी ठाकुर, ग्राम–किरना** :– हम लोग गोपी अग्रवाल के क्रशर प्लांट से बहुत परेशान है। प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

9. **श्रीमती पंचतबाई लहरे, ग्राम–किरना** :– यहां स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

10. **श्रीमती नेमनबाई टंडन, ग्राम–किरना** :– स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

11. **श्री रामअवतार, ग्राम–बडियाडीह** :– यहां स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

12. **श्री अशोक निषाद, ग्राम–बडियाडीह** :– ऐखर विरोध करतहव काबर कि हमर भविष्य में खतरा हवय, कैसे खतरा हे, ये स्टील प्लांट खुल जाही तो भारी मात्रा में लोहा–लक्कड आही। यहां के यातायात में परेशानी ही होही। साथ ही साथ यदि ये खुलही ऐमा के पानी सिर्फ नदिया मा जाही। ओखर से नाला–नदियां मा प्रदूषण वो प्रदूषण होही। साथ–साथ ऐखर से वायु मंडल प्रदूषित होही, ऐखर साथ–साथ जगह मा मावेशी मन रयही ओखर मन भी चारागाह मा परेशानी होही। चलही तबहो। ऐखर साथ–साथ भविष्य में भी दो साल, चार साल में ये जगह के तापमान के वजह से ये जमीन बंजर होवत जाही। तो मै हा बार–बार निवेदन करत हव की ऐला प्रतिबंध लगावे कि ये नहीं खुलना चाहिए।

13. **श्री संजय सिंह, ग्राम–मदकू** :– यहां जो स्टील प्लांट खुलेगा। उसमें जन, धन सबका हानि है। लेकिन आने वाले समय में भविष्य और ये भूमि बंजर हो जायेगा। यहां का जो पानी जायेगा नरवा में, नदी में ग्रामवासी लोग नहाते है। वहां मावेशी लोग पीते है पानी इसलिए इसका विरोध करता हूँ।

14. **श्री बाबूलाल बंजारे, ग्राम–लम्ती** :– स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

15. **श्री खुशी सिंह, उपसरपंच ग्राम–मदकू** :– यहा स्टील प्लांट बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए। ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं है कृषि क्षेत्र है। हर हालत में खुलना ही नहीं चाहिए।

16. **कुमारी गुजराती कौसले, ग्राम–दरूवनकांपा** :– मैं बस इतना बोलना चाहत हव। कि हमन किसान हन किसान की तरह रहबो। कि यहां पर कोई भी फैक्ट्री, कारखाना नहीं खुलना चाहिए। समस्त जीव जंतु, प्राणी, ला भी नुकसान होवत हे। यदि ये खुल भी जाही तो हमर यहां पानी जाही नाला मा, नदी मा जाही। ऐखर से नदी, नाला में बहुत से जीव जंतु रहथे। जेकर से उमला बहुत प्रॉबलम होही। ओखर वजह से मै बोलना चाहत हव। कि हमर कोई भी फैक्ट्री कारखाना मत खुले। ऐखर से हमर आने वाले भविष्य में बहुत बुरा प्रभाव परही। आप मन ऐखर फूल विरोध करो। अपन लईका मन के बारे में सोचव, हमर लईका मन ला घला अच्छा से जिंदगी देना है। ऐखर वजह से गांव के संगवारी तो हमेशा हमला गांव के बारे में सोचना चाहिए।

17. श्री नरोत्तम यादव, ग्राम–बडियाडीह :– यहां प्लांट नहीं खुलना चाहिए। स्टील प्लांट ।

18. श्री भूषण पात्रे, ग्राम–मदकू :– यहां पर कोई भी प्लांट नहीं खुलना चाहिए। क्योकि हमारा ये कृषि क्षेत्र है। हम लोग इसी से आश्रित है न की कंपनी फैक्ट्री से, हम लोग उत्पादन पैदा करते है इसको बेच कर अपना जीवन यापन करते है। इसमें हम लोग को कोई फायदा नहीं है और जन–धन बहुत सारी हानि भी होती है इससे ये नदी है 100 प्रतिशत इसमें गांव के आसपास के गांव लोग स्नान करने आते है इससे भी प्रभावित होगा। हमारा घर जो भी बना हुआ है क्षतिग्रस्त हो जायेगा हम लोग यहां जीने खाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए यहां पर कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

19. श्री बालिकराम राजपूत, ग्राम–दिवाकर :– मैं सनम्र निवेदन करता हू आम जनता से किसान भाई से ये फैक्ट्री से हमलाा बहुत नुकसान होने वाला है। इसमें पानी दूषित हो जाही। पास में नदी है उसमें हजारो गांव के पेयजल जावत है उससे हमला बचना है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए डस्ट ये प्रकार से संभावना है भाई मन बोलत हवय वैसी ये बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए।

20. श्रीमती चेतन बाई बंजारे, ग्राम–किरना :– यहां पर कोई चीज नहीं खुलना चाहिए मतलब नहीं खुलना चाहिए।

21. श्री मंतराम राजपूत, ग्राम–लम्ती :– स्टील प्लांट के नाम से विरोध करत हव काबर क्योकि ये नहीं खुलना चाहिए। ये खुले से ग्राम–लम्ती, दरूवनकांपा खुले से बहुत ज्यादा कष्ट दाई होही। क्योकि बहुत से धूल–धक्कड़, राखड निकलही काबर आसपास के गांव में मतलब प्रभाव पड़ही। ऐखर से मै विरोध करत हव। नहीं खुलना चाहिए।

22. श्री सूर्यकांत साहू सरपंच, ग्राम–बासीन :– इस स्टील प्लांट खुलने का विरोध करता हूॅ।

23. श्री लक्ष्मण लहरे, ग्राम–दरूवनकांपा :– ये फैक्ट्री खुलत हे ऐखर मैं बहुत विरोध करत हव। ऐखर से हमर आसपास के क्षेत्र में बहुत नुकसान है, और प्रदूषण

फैलही। हमन किसान आदमी हमर जीविका साधन किसानी हवय। ऐखर से हमन बहुत प्रभावित हो जाबो और गांव छोडे पड जाही ऐखर सेती मैं सबो जनता से अपील करत हव कि ऐखर घोर विरोध करव ताकि हमर गांव ला गांव रहन दे भैया ऐसे प्रदूषण मत फैले।

24. **श्री परस साहू, ग्राम–बासीन** :– मैं इस स्टील प्लांट का पूर्ण विरोध करता हूॅ। क्योंकि हमारे आसपास छत्तीसगढ़ में एक पर्यटक स्थल मदकूदीप है। इसकी अस्तित्व इस फैक्ट्री के खोलने से खतरे, इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूॅ।

25. **श्री दुर्गेश वर्मा पंच, ग्राम–बासीन** :– यहां स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए।

26. **श्रीमती सरोज, ग्राम–दारूवनकांपा** :– स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

27. **श्रीमती रेखा लहरे, ग्राम–दारूवनकांपा** :– ये स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। सब चीज मन ला नुकसान हे, लडका मन ला, जानवर मन ला, फसल मन ला भी नुकसान हे। नहीं खुलना चाहिए।

28. **श्रीमती मोना लहरे, ग्राम–दरूवनकांपा** :– यहां स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। काबर कि हमन किसान आदमी हन। हमन ला बहुत नुकसानी हवय। यहां पर गरवा गाय के भी चारागाह नहीं हवय। ये जमीन बचे हे हमरे बर भी मांगबे तो देवय नहीं, बाहर के आदमी मन ला बसाये बर आदमी किसानी बर मांगही कोई नही देही जमीन ला, काबर करथन, सहयोग करना चाहिए। हर चीज के विरोध करना चाहिए यहां स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। इसलिए हमन किसान आदमी हन। किसानी कर गुजारा करथन।

29. **श्री परदेशी निषाद, ग्राम–बनियाडीह** :– यहां स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। स्टील प्लांट खुलने के वजह से नदी, नाला प्रदूषण हो जायेगा।

30. **श्री दिलीप राजपूत, ग्राम–लम्ती** :– मैं स्टील प्लांट का खुलकर पूर्ण विरोध करत हव। प्रायः जतना नागरिक हे सभी ला चाहत हे एक–एक बोले के जरूवत नहीं हे। सभे जन एक बार हाथ उठाकर बोल देवा यहां पर स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। नई खुलना चाहिए, नई खुलना चाहिए।

31. **श्री रामकुमार रात्रे, ग्राम–लम्ती** :– मोर एके ही विरोध हवय कि यहां पर स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। नई खुलना चाहिए। हमन चांवल खाथन, धान खाथन, हम लोहा नहीं खान, भाई हाथ उठाकर बोल दो।

32. **श्री संजू सोनवानी, ग्राम–दारूवनकांपा** :– यहां किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं खुलना चाहिए।

33. **श्री निलेश गेंदेल, ग्राम–दारूवनकांपा** :– स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

34. **श्री शिशांत मनहरे, ग्राम–दरूवनकांपा** :– ये किसान क्षेत्र है तो उद्योग क्षेत्र यहां नहीं खुलना चाहिए। यहां लोहा फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

35. **श्री कुबैर सिंह परिहार, ग्राम–देवाकर** :– यहां स्टील प्लांट का पूर्ण विरोध करता हूॅ। क्योकि यहां पर पेयजल का बहुत समस्या है। पेय जल का योजना लागू हो चुका है। मैं इसका खुलकर विरोध करता हूॅ। यहां स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

36. **श्रीमती कनई यादव, ग्राम–लम्ती** :– यहां स्टील का लोहा, टीना कुछ भी फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। अगर काम करना है भाई तो वृक्षारोपण और पानी का समस्या है। पेड–पौधा लगाने से पानी की कमी दूर होगी।

37. **श्रीमती श्यामवती ध्रुव, ग्राम–लम्ती** :– ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई फैक्ट्री नहीं होना है। कोई काम नहीं करना है, गरीब मन के पानी कानी कुछ नहीं होना है। छोटा–छोटा बच्चा मन पानी लेवत आवत हे, दूरिया से, ये काम करीहो तो हमन कहां से चलबो, ये काम नहीं खुलना चाहिए।

38. **श्री संतोष राजपूत, ग्राम–देवाकर** :– मैं जो स्टील प्लांट खुलत हे, ओखर मैं विरोध करत हव। काबर आसपास से बहुत प्रदूषण है।

39. **श्री अग्रसेन निषाद, ग्राम–मदकू, बडियाडीह** :– मैं इस स्टील प्लांट का विरोध कर रहा हूॅ क्योंकि यहां के रहने वाले समस्त ग्रामवासी को सभी प्रकार के प्रदूषण फैलेगा, प्लांट से इसलिए मैं इसका संपूर्ण विरोध करता हूॅ।

40. **श्री जण्डू सिंह** :– यहां पर स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। यहां पर प्रदूषण से छोटे–छोटे गांव है यहां पर प्रॉब्लम होही।

41. **श्री निरंजन यादव, ग्राम–लम्ती** :– मैं ये बोलना चाहत हव कि ये जो प्लांट, स्टील प्लांट खुलने वाला है, लेकिन अगले और जो दो चीजे आसपास में खुल चुका है। वो धूप सर सहावत नहीं हवय। आगे चलके ऐमा क्या होही। ऐला उपरे वाला जनही। खोलने वाला, कारखाना वाला ही जानही। आगे चलके हमी तो कुछ दिन के बाद चले जाबो। आने वाले पीढी ला हमर क्या होही। ओखर बाद हमर जाये के बाद भी, हमर पीढी मन हमर जाये के बाद भी हमन ला श्रॉप देही। ये हम ये पुरखा मन आसपास हमर बर काल बना के रखे है। ऐसे करके उल्टा हमन ला श्रॉप देही। हमर मन के यही आग्रह हे कि भाई हमन के यहां आसपास के कोई जगह में प्लांट हो स्टील प्लांट हो नहीं खुलना चाहिए। दो चीज खुल चुके हे हमर गांव के आसपास मा दो चीज खुल चुके हे। वोही मन ला भोगत हन अभही। ऐला सभी ला मालूम अभी पढे हे लेकिन बेच बेच के पैसा के लालच मा बेच चुके हन, लेकिन वो समझ मा अभी अवत हे जब धूप ला पढत हे। इतना भारी अकाल पढत हे, ओखरे कारण से अकाल पढत हे। ये वर्षा नहीं होवत हे, ये चीज मा ये बुजुर्ग मन नई दौडत हे, अकल नई फिरावत हे। तो ये सभी बडे बुजुर्ग थे। हमन मन के आग्रह हे ये चीज प्लांट कोई भी कारखाना नहीं खुलना है, नहीं खुलना है भाई। अतका हमन के आग्रह है।

42. **श्रीमती पुष्पा घृतलहरे, ग्राम–मदकू** :– मैं अभी जिला पंचायत क्षेत्र के चुनाव लडे हव। हमन खुलके विरोध करतहन कि प्लांट नहीं खुलना हे। गांव मा छोटे–छोटे लईका बच्च हे, आने वाले पीढ़ी ला नुकसान हे। आप मन से विनती कर हव। यहां खुलना नहीं हे, कलेक्टर सर से अनुरोध करत हव। कि बिल्कुल खुलना नहीं है। बिल्कुल खुलना नहीं है। आने वाला पीढ़ी भविष्य में हमर बीस कोस के एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान हे। तो खुलना नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी भविष्य के बच्चा मन ला ये नुकसान हे। खुलना नहीं है विनती विनम्र है।

43. **श्रीमती ज्योति घृतलहरे, ग्राम–चंद्रखुरी, जनपद सदस्य** :– ये स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। मतलब नहीं खुलना चाहिए।

44. **श्री बजरंगी लहरे, वार्ड क्रं.–08 पंच, ग्राम–दरूवनकांपा** :– मैं विरोध करता हूॅ हमारे ग्राम पंचायत स्टील प्लांट का, ये पशु–पक्षी, आदमी जानवर सभी के लिए नुकसान

दायक है। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूॅ कि ये स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। इसका मैं खुलकर विरोध करता हूॅ।

45. **श्री किरन कुमार पात्रे, वार्ड नं. 06 पंच, ग्राम–मदकू** :– मैं विरोध करता हूॅ कि ये स्टील प्लांट नई खुलना चाहिए, नई खुलना चाहिए, नई खुलना चाहिए।

46. **श्री खवाईस घृतलहरे, ग्राम–मदकू** :– स्टील प्लांट नई खुलना चाहिए। आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत नुकसान दायक होगा।

47. **श्री कमलेश कुमार घृतलहरे, ग्राम–मदकू** :– मैं चाहत हव कि ये स्टील प्लांट मत खुले। हमर ये छोटे–छोटे बच्चा है बात ये प्रदूषण की नहीं है। बात बहुत गंभीर है कंपनी खुलही तो कई प्रकार के गैस यहां से निकलही, पानी प्रदूषित होही, हवा प्रदूषित होही, जेखर से हमर बाल बच्चा मन हमर भविष्य मा बहुत प्रकार के आसमंजस्य के स्थिति पैदा होही। ऐखर से हमन ये चाहत हन कि कंपनी मत खुले। मतलब मत खुले।

48. **श्री महेश राजपूत, ग्राम–देवाकर** :– पेशे से प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन हूॅ। आसपास के गांव में काम करता हूॅ। इसे स्टील प्लांट कही–कही जाकर देखा भी हूॅ। वहां पर पूरा प्रदूषण, वायु और जल दोना है। इस स्थिति में ग्राम–बड़ियाडीह के भूमि में स्टील प्लांट नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए मतलब नहीं लगना चाहिए।

49. **श्री यशराज घृतलहरे, ग्राम–मदकू** :– यहां पर स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। क्योंकि यहां पर हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए व हमारे लिए बहुत नुकसान है। इसका हमें जितने भी निवासी लोग आये हुए है सभी इसका खुलकर विरोध कर रहे है। तो बिल्कुल भी स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए। हमारे भविष्य के लिए बहुत नुकसान दायक है। स्टील प्लांट यहां पर खुलना ही नहीं चाहिए।

50. **श्री रूप कुमार घृतलहरे, ग्राम–मदकू, पथरिया ब्लॉक सचिव** :– मेरा यह कहना है कि यह प्लांट खुलना नहीं चाहिए। कारण बहुत सी है कई सारे जानवर वगैरह है जो हम लोग का आश्रित है, दूध–दही है। बाकि सबसे ज्यादा प्रॉबलम है किसान, पानी की समस्या, बहुत सारे दिक्कत परेशानी आता है। बाकी कई लोग है सरपंच है, उपसरपंच है, उनकी बात को तो नहीं कहा जा सकता है बाकी जो बात को मैं

सही चीज कहना चाहता हूॅ कि ये प्लांट नहीं खुलना चाहिए। बस यही चीज कहना चाहता हूॅ।

51. **श्री दिनेश पात्रे, ग्राम–मदकूद्वीप** :– यहां आयरन स्पंज आयरन यहां नहीं खुलना चाहिए। यहां बच्चे स्कूल जाते है ये स्कूल का मैदान है। स्कूल खोलवाये, वॉटर फिल्टर लग रहा है यहां पर वो काम नहीं हो रहा है। वॉटर फिल्टर लगा है वो काम स्लो चल रहा है। यहां पर आयरन फैक्ट्री लगाने के लिए जन दर्शन, ये सभी लोग आये है। ये सब चाहते है कि नहीं खुलना चाहिए। आप लोग चाहते हो ना हाथ उठाईये। एक–एक करके आने की जरूवत नहीं है। आप लोग समझ सकते है जितने लोग भाई–बहनी, दाई–दीदी, बुजुर्ग सभी लोग ये चाहते है कि आयरन प्लांट नहीं खुलना चाहिए। कोई भी फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। नई लगना चाहिए। कोई भी प्रकार का फैक्ट्री यहां पर नहीं लगना चाहिए। अभी जल संसाधन पानी की बहुम मारामारी होते जा रही है। यहां देखिए पानी का फिल्टर वॉटर लगने जा रहा है वो काम कितना स्लो हो रहा है। कोई भी शासन इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे अनुरोध है कि इसमें ध्यान दीजिए। कि पानी गांव–गांव में पहुंचे। पानी की समस्या बहुत जरूरी है।

52. **श्रीमती बुधारा कौशले, ग्राम–दारूवनकांपा** :– यहां पर स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए कोई भी प्लांट। पानी का बहुत परेशानी है। मैं पहली बार बोल रही हूॅ कि नई खुलना है तो नई खुलना है। सब आसपास के गांववासी मन सहयोग करो कि नई खुलना है स्टील प्लांट।

53. **श्री रनिश कौशले, ग्राम–दारूवनकांपा** :– स्टील प्लांट यहां पर नहीं खुलना चाहिए।

54. **श्रीमती सहोत्रा चतुवेर्दी, ग्राम–दारूवनकांपा** :– स्टील प्लांट नहीं खुलना है तो नहीं खुलना है। स्टील प्लांट क्या कोई भी फैक्ट्री यहां पर नहीं खुलना चाहिए। हम किसान हन किसान ही रहेंगे। बाकी कोई फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

55. **श्रीमती भगवती घृतलहरे, ग्राम–किरना** :– यहां कोई प्लांट नहीं खुलना चाहिए। यहां सिर्फ किसानी होना चाहिए।

56. **श्रीमती कुवरियां, ग्राम–दारूवनकांपा** :– प्लांट यहां नहीं खुलना चाहिए भाई। कोई चीज यहां नहीं खुलना चाहिए।

57. **श्रीमती सीताबाई चतुवेर्दी, ग्राम–दारूवनकांपा** :– यहां कोई प्लांट नहीं खुलना चाहिए। भले बस्ती भर जाये। स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

58. **श्रीमती कविता जोगी, ग्राम–किरना** :– यहां स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

59. **श्री रामसाद निषाद, ग्राम–बड़ियाडीह** :– यहां फैक्ट्री बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए।

60. **श्रीमती नीलम, ग्राम–किरना** :– नहीं खुलना चाहिए।

61. **श्रीमती परागा, ग्राम–दारूवनकांपा पंच** :– यहां स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

62. **श्रीमती साधनबाई, ग्राम–दारूवनकांपा** :– नहीं खुलना चाहिए स्टील प्लांट।

63. **श्रीमती संगीता सोनवानी, ग्राम–किरना** :– स्टील प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

64. **श्री श्याम कश्यप, समाजिक कार्यकर्ता, ग्राम–धूमा** :– मैं इस प्लांट के विरोध में दो शब्द आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जो उक्त प्लांट यहां पर प्रस्तावित है वो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वहां पर अन्य योजना प्रस्तावित नहीं है। यह कहकर जानकारी छुपाई गई है, प्लांट के द्वारा यह कि हकीकत में यह है कि बनियाडीह में शिवनाथ नदी पर छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण सौकड़ो नियमित महत्वपूर्व पेयजल योजना स्वीकृत हो चुकी है। तथा प्रथम चरण में कार्य प्रगतिरत है। इसमें ग्राम–बड़ियाडीह, मदकू क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में तथा ग्राम–देवकर, बनियाडीह, धूमा, सरगांव, खजुरी, मोहभट्ठा, सांवा, भाटापारा, मोहदा, ककड़ी, उमरिया विभिन्न 22 ग्राम में पानी पीने के लिए पाईप लाईन योजना स्वीकृत है। स्वीकृत होने के बाद ऐसा प्लांट यहां पर लगाना उचित नहीं है। जबकि यह प्रस्तावित औद्योगिक प्लांट के लिए जन सुनाई आयोजित है। वो मंजूरी दिया जाता है तो इस क्षेत्र में जीन के लिए खेती एवं पशु पालन पर घोर प्रभाव पडेगा। अधिक मार्ग क्षेत्र के वासी को देना पडेगा। प्लांट के लिए जन सुनवाई आयोजित है। उसे किसी प्रकार की पर्यावरण स्वीकृति न दिया जाये। ये सब हम क्षेत्र के निवासियों के लिए है। और ये प्लांट, अगर प्लांट मालिक को लगाना ही है। तो अपने रायपुर में जो औद्योगिक क्षेत्र घोषित है। वहां पर ये प्लांट लगाना चाहिए। यहां ग्रामीण क्षेत्र में लगायेंगे तो यहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ऐसी पानी का मारा–मारी है देख रहे है पशु–पक्षी पर प्रभाव पडेगा। इसलिए मैं ये प्लांट को लगा रहे है उनसे मैं आवेदन

करूंगा, निवेदन करूंगा कि जिस जगह प्लांट के लिए औद्योगिक क्षेत्र घोषित है। वहां पर अपना प्लांट स्थापित करें।

65. **श्रीमती कौशल्या, ग्राम–किरना** :– यहां प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

66. **श्री घनश्याम वर्मा, ग्राम–पथरिया** :– मैं बडियाडीह में प्रस्तावित मेसर्स एल एन स्टील एण्ड एलाय प्रा. लि. के निर्माण में आपत्ति दर्ज कराने आया हूॅ। मैने आवेदन दे दिया है सभी को अपनी भावनाओं से अवगत करा देता हूॅ। कि माननीय महोदया जो बडियाडीह के फैक्ट्री के लिए जन सुनवाई कर रहे है। सब आये हुये है इनके विरोध में आपने जिस तरह से फैक्ट्री के लगने पर अच्छे प्रभाव व लाभ के बारे में बताया है और हम बताना चाहते है। इस परियोजना के स्थापना से इस क्षेत्र में किस तरह से दुषपरिणाम होने वाला है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पर्यावरण दूषित होगा। उद्योग से उत्पन्न होने वाले रसायन, वायु और जल, भूमि दूषित होने की आशंका है। जैसा कि आप सब जनते है। हमारे क्षेत्र में और भी व्यक्तियों का उद्योग लगा हुआ है। उनके कारण आसपास के 1–15 कि.मी. के कारण अगर सुबह हम लोग छत में चलते है। हम उनके पैर के निशान देखते है। अगर छत पर अपना कपडा सूखाते है तो हमें सही सलामत कपडा नहीं मिलता। हमें परेशानी होती है। आप जानते है आप जहां जन चौपाल लगाये है जन सुनवाई का 300 करोड़ भारत सरकार का नल जल योजना का प्रोजेक्ट हो रहा है हमारी जीवन दायनी नदी है। शिवनाथ नदी, मनियारी नदी का संगम जहां से पानी यहां से 18 से 20 गांव को देने वाले है। भारत सरकार ने एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना इस क्षेत्र के आम लोगों के लिए बनाया है। अभी सब आप लोगों ने देखा होगा कि शिवनाथ नदी में कितनी मछलियां मरी थी और पेयजल का पानी कितना खराब हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय से स्वयं संज्ञान लिया था। इस तरह इस क्षेत्र में आप फैक्ट्री लगाते है। तो निश्चित रूप से हमें पेयजल का आने वाले समय में गहरा संकट होगा, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जो हमारे आम किसान भाई यहां आये हुए है, मजदूर लोग आये हुए है, छोटे–छोटे भाई लोग आये हुए है। जो चाहते है कि ये फैक्ट्री न लगे। मैं मांग करता हूॅ कि फैक्ट्री का विरोध करता हूॅ, विरोध करता हूॅ। जितने भी आज तक के ये फैक्ट्री लगी हुई है। आप सब जानते है। हमें रोजगार में क्या मिलता है चौकीदारी मजदूर बाहर से यूपी से, बिहार से आप कर्मचारी बुलाते है, अधिकारी बुलाते है। जमीन रहता है उसका पूरा भुगतान हम भोगते है। धुआं हम झेलते है, प्रदूषण हम झेलते है, हमारे लोग बीमार होते है। आप सिर्फ बाहर के लोगों को लाते है। पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए कारखाना

खोल रहे है। सरकार ने तय किया हुआ है कि उद्योग कहां लगाना है। छत्तीसगढ में उद्योग लगाने के लिए रायपुर के पास सिलतरा है, वहां उद्योग लगाये आप। सिरगिट्टी में लगाये उद्योग, उरला में लगाये उद्योग आप कृषि भूमि को कैसे दे सकते है कई गांव के किसान जहां से अन्य उगाते है, अपने जीवकोपार्जन करते है। ऐसे जगह में आप फैक्ट्री लगाते है तो मैं इनका पुरजोर रूप से विरोध करता है। साथ ही मैं बताना चाहता हू कि इससे समाजिक एवं शांति संतुलन भी बिगडेगा। कई तरह के लोग यहां आयेंगे देशभर से लोग आयेंगे। हमारा कलचर हमारी संस्कृति भिन्न है हमारे लोग छत्तीसगढीया सबसे बढ़िया सबसे शांत जिने वाले लोग है। कैसे–कैसे लोग वहां से आयेंगे यहां छत्तीसगढ़ से बाहर के आकर यहां की सांस्कृति को आवास को यहां का बिगाडने का कार्य करेंगे। इसलिए मेरी आपत्ति है, महोदया। मैं चाहता हूॅ ये कृषि भूमि क्या आप ने इनका मद परिवर्तन किया है। क्या इसमें मद परिवर्तन हुआ है इसमें कृषि भूमि को उद्योग के लिए नहीं दिया है तो दिया भी नहीं जाना चाहिए। चूंकि राज्य ने जहां–जहां चिन्हांकित किया है। आप सिलतरा में लगाईये हम रायपुर सिलतरा में लगाने में सहमत है भाई। ये सिरगिट्टी में लगाये इसके लिए सहमत है भाई। लेकिन यहां नहीं लगना चाहिए। आप देख रहे है कितना जल स्तर गिरते जा रहा है। इनको पानी कहां से मिलेगा। अगर इसमें कारखाना को पानी मिलता है तो ये मेरे भाई लोग को पानी कौन देगा। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। इनके खातें सिर्फ राख आयेगा राख। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूॅ बिनती करता हूॅ। इस प्रोजेक्ट के लिए जितने लोग विरोध करने आए है। आप इनके भावनाओं को सम्मान करते हुए इस प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं देंगें। आप जन सुनवाई में कितने लोग आये है मेरे द्वारा प्रशासन में किसी ने इस बात का फायदा नहीं बताया होगा। साथ में ये बताना चाहूंगा कि जिस स्तर का यहां फैक्ट्री लगने वाला है। पूरी दुनिया में उसको मनाई है। पूरी दुनिया में उस फैक्ट्री को मनाई है। वैसा फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी फैक्ट्री लगाया जा रहा है। जिससे मुनाफा ज्यादा मिले आम आदमी को ज्यादा नुकसान हो। पूरी दुनिया में वैसी फैक्ट्री लगाने में प्रतिबंध है। आप से निवेदन है कि वैसी फैक्ट्री लगाने में आपसे निवेदन पूर्वक विरोध करते है। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूॅ। आम जनता से आये हुए मेरे भाई विरोध करने आये है उन सब के भावनाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरह चाक चौबंद व्यवस्था देखा जा रहा है। जैसे कि हम निर्वाचन में देखते है कि काउंटिन के समय इससे कम सुरक्षा होता है उससे ज्यादा कहीं सुरक्षा आज यहां किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि आम आदमी के भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया गया है यहां जन सुनवाई, जन चौपाल सामान्य ढंग से

होना चाहिए था। जिस तरह पुलिस प्रशासन बेरिकेट ये सब किया गया है। इससे प्रतीत होता है प्रशासन भयभीत है। या आम जनता को भवयादोहन करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इनके कडे शब्दो में निंदा करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

67. **श्री अर्जुन तिवारी, ग्राम–बिलासपुर** :–एल एन स्टील एण्ड एलाय प्रा. लि. बडियाडीह में प्लांट लगाये जाने संबंध में जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। उसमें दो–तीन बिन्दुओं में प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले जब उद्योग लगता है। उसके लिए नोटीफाईड किया जाये। नोटिफिकेशन होता है यहां उद्योग लगेगा, यहां कृषि भूमि लगेगा, यहां बागवानी लगेगा, यहां सीमेंट प्लांट लगेगा। जैसा कि पूर्व वक्ता मेरे भाई घनश्याम वर्मा ने कहा कि आप यदि ये प्लांट लगाना चाहते है तो उरला में लगाईये, सिरगिट्टी में लगाईये सिलतरा में लगाईये। मुंगेली जिले का खम्हरिया जिसे आप लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है। वहां पर लगाईये। पहली आपत्ति है। दूसरी आपत्ति यह है कि जब कोई प्लांट लाना चाहते है। उसका जो ईआईए रिपोर्ट होता है। इन्वायरमेंट इमपेक्ट असेसमेंट जो भी आप का प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डिटेल है। उसकी प्रतिलिपि सात–आठ ग्राम पंचायतों में चस्पा किया जाना चाहिए। आप ने किसी भी ग्राम पंचायत में चस्पा नहीं किया है। नोट कर रहे है। सात–आठ ग्राम पंचायतो को आपने दायरा दिया है चस्पा किया जाना चाहिए। ये चस्पा नहीं किया गया है। जनपद पंचायत में भी चस्पा नहीं हुआ है। तीसरी बात जिस जगह प्लांट लगाना चाह रहे है उद्योग लगाना चाह रहे है। उस जगह में सरकार ने जलधन योजना का 300 करोड़ स्वीकृत करके वहां पर काम प्रारंभ कर दिये है। चूंकि 20–25 गांव ऐसे है जहां पर जल अभाव घोषित किया गया है जिलादण्डाधिकारी महोदय के द्वारा जिसको जिलादण्डाधिकारी द्वारा जल अभाव घोषित किये है वही पर एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो पूरे विश्व में घटिया टेक्नोलॉजी माना जाता है वो यहां पर स्थापित कर रहे है। इसलिए कि उसमें लाभ ज्यादा है। उद्योगपति को लाभ ज्यादा मिलेगा। आप भी यहां जन सनुवाई करने के लिए पांचवी बिन्दु आपने तय किया होगा आने के पहले इसका पक्ष क्या है इसका विपक्ष क्या है। ये जो फैक्ट्री लग रहा है। इसके पक्ष में कितने लोग है। पक्ष में कितने लोग है और विपक्ष में कितने लोग है। आप हाथ उठाईयें रिकाडिंग करीये। क्या ये उद्योग लगना चाहिए। उपस्थित जन सुनवाई का संवेय प्रस्ताव, ये उद्योग नहीं लगना चाहिए सब लोग हाथ लगाकर विरोध करिये। ये हमारा कथन है। तीसरी बात जो यहां पर आसपास की स्थिति है। उसका जय विविधता प्रभावित होगा। हिन्दुस्तान के नक्शे पर पथरिया विकास खण्ड के क्षेत्र ताला जो क्षेत्र है।

मदकू जो दीप है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एवं पर्यटन के रूप में घोषित है। कौन सी उद्योग नीति में ऐसा प्रावधान है। जहां पर पर्यटन स्थल है उसके 1 किलोमीटर में आप उद्योग लगायेंगे। आखरी आपत्ति मेरा ये है कि पर्यटन स्थल घोषित है उस दिशा में उद्योग लगाकर उस पर्यटन की जयउपयोगिता है। उसको आप खत्म करना चाहते है। अंतिम बात यह है कि जो इकोलॉजी सिस्टम है ये पूरे क्षेत्र का जैसा की हमारे छोटे भाई घनश्याम वर्मा ने कहा कि उद्योग धंधे जहां पर भी लगते है उसमें बहुत दूर से लोग आते है। आप ने बताया होगा कि उस उद्योग में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बाताये है कि नहीं इमन कि कतका आदमी ला रोजगार मिलही। नई बताये है तो ये बात भी आपत्ति जनक है। इसका इम्पेंक्ट आपको बताना चाहिए था कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा कितने लोग बेरोजगार होंगे। कितने लोग पर्यावरण से प्रभावित होंगे। उसका स्वास्तिक प्रभाव क्या होगा। स्वास्थ्य में क्या असर पडेगा। पहले शुरू होने से पहले आप को पर्यावरण संरक्षण मंडल को बताया जाना चाहिए था। यदि पर्यावरण संरक्षण मंडल ये नहीं बताया है। तो मेरा आरोप है कि आपको भी नहीं बताया है। पीठासीन अधिकारी के समक्ष पर्यावरण संरक्षण मंडल ये बात को रखता है। जन सुनवाई से कि इस उद्योग धंधे से क्या प्रभाव है क्या दुषप्रभाव है। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को लाभ मिलेगा। ये आपको पहले बताया जाना चाहिए उसमें आपको सुझाव मांगना चाहिए। तो आपने सीधा बेरिकेटिंग करके जो कि हम लोग हमलावर है आप ने कर दिया। लेकिन जो बेसिक पाइंट है, उस बात को आप लोगों ने बताया ही नहीं। इस बात की भी आपत्ति है पीठासीन अधिकारी के समक्ष मेरा। घोर आपत्ति इस बात का है। पर्यावरण संरक्षण मंडल में लोक सुनवाई कराने का दायित्व है। उन लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। ये हमारी आपत्ति है। ये संकेत है कि आपकी मिली भगत है। मिलीभगत करके ऐसे क्षेत्र को आप आसान और अस्वस्थ घोषित करना चाहते है। जहां शांतिप्रिय लोग रहते है।

68. **श्री लवकांत दुबे, अधिवक्ता ग्राम–किरना** :–इस बात का हम पुरजोर विरोध करते है कि इस क्षेत्र में स्टील प्लांट लगे। 25.04.2025 लोक सुनवाई पर्यावरण के संबंध में विरोध करता हूॅ और यहां स्टील प्लांट न लगे इसलिए जन समर्थन का समर्थन भी करता हूॅ कुछ बिन्दु है। प्रस्तावित स्टील प्लांट की ओर से जन सुनवाई का व्यापक प्रचार–प्रसार आम जनता तक नहीं किया गया है, सही बात है। प्रस्तावित स्टील प्लांट से क्या हानि होगी आम जन को नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया है। प्रस्तावित स्टील प्लांट को कितना गेलन क्यूसिक पानी प्रतिदिन चाहिए। वह कहां से पानी की व्यवस्था करेगी। नहीं बताया गया है। भू–जल स्त्रोत से करेगी कि

हमारे शिवनाथ जीवनदायनीय से करेगी, ये नहीं बताया गया है। प्रस्तावित स्टील प्लांट को कितने ग्राम पंचायत से एनओसी प्राप्त है तथा ये कब का है। वर्तमान पंचायत से क्या प्राप्त है। ग्राम सभा से अनुमोदन किया गया है, ये है कि नई बताया गया है, नई बताया गया है। कितने हजार यहां पर वृक्ष लगे हुए है क्या ये इन्होंने बताया है। तो हम कैसे जीयेंगे साथियों इसलिए इस प्लांट का विरोध होना ही चाहिए साथियों। प्लांट यहां न लगे। फैक्ट्री का दूषित पानी कहां बहायेंगे। हमारे शिवनाथ में बहायेंगे। जो हमारे पाण्डो ऋषि का आश्रम है जहां पे हम लोग वर्षो से छोटे–छोटे पुर्वज रहते आ रहे है। क्रिश्चनों का भी मेला लगता है हमारे हिन्दुओं का भी मेला लगता है। क्या यहां पर गंदगी बर्दास्त करेंगे। मेरे ख्याल से 20 कि.मी. से भी ज्यादा रेडियस क्षेत्र को प्रभावित करेगा, इसका धुआं और इसकी गंदगी। ये हमारा है कि ये पूर्व वक्ताओं ने घनश्याम भईयां ने बिलासपुर से आए हमारे अर्जुन भैया ने अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है। जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है और पुरातत्व महत्व की जगह है। उस संबंध में कंपनी ने कभी ध्यान नहीं दिया है। कि क्या हम लोगों को यहां प्लांट लगाना चाहिए था। कि जनसुनवाई कराने के लिए हमें आना था। इनको तो पहले ही सोच लेना था। मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूँ।

69. **श्री भूषण कुमार यादव, ग्राम–सरगांव** :– मैं इस प्लांट के स्थापना के लिए विरोध दर्ज करता हूँ। क्योंकि मैं सरगांव का रहने वाला हूँ। सरगांव से 5 किलोमीटर दूर कुसुम एक प्लांट लगाव और वहां पर कई और प्लांट वहां पर स्थापित हुए है। उनका दम हम झेल रहे है। हम जाते है अपने छत के ऊपर हम जब जाते है तो खुला पैर पूरा काला हो जाता है। हमारी महिलाए छत्तीसगढ़ की निवासी है हमारे घर में बड़ी बनता है। आप एक दिन बडी बनाकर छत में सूखा लीजिए, पूरा काला हो जाता है। कितने परेशानी को हम झेल रहे है। इससे पहले एसडीएम हमारे ठाकुर साहब होगे उनको अवगत कराना चाहता हूँ अतुल वैष्णव जी है। हमारी दो–तीन बार हमारी बैठक सरगांव नगर पंचायत कायालय में कराये प्लांट वालो से प्लांट स्थापित होने के पूर्व प्लांट वाले दावे करते है वो भी सारे खोखले होते है, प्लांट स्थापित होने के बाद क्योंकि मैं बता दू जो वहां का सीमेंट फैक्ट्री है। वहां जो कुसुम का प्लांट है, वासुदेव ट्रेडिंग का प्लांट है। उनके सारे संस्थापक आऐ। उन्होंने कहां इतने दूर हमारे पानी डालने का हमारा अधिकारी है। इतने दूर करने का अधिकारी है। कथनी और करनी में करने का आसमान का अंतर था। एक प्लांट स्थापित होने के पूर्व जन सुनवाई स्थापना की तरह–तरह की बाते परंतु प्लांट स्थापित होने के पश्चात् सारे वादे धोखे होते है। साथ ही हमारा मदकू दीप, हमारा ताला तो बिलासपुर जिले में आता है। मदकूदीप है जो मुंगेली जिले का ऐतिहासिक

धरोहर है। वहां पे एक दो साल से हिन्दु और क्रिश्चन समाज का मेला लगता है। निश्चित तौर पर वहां पर जय विविधता आप जा के देखिये। वहां के जितने वृक्ष है जितने पौधे वो औषधी गुण वाले है। परंतु आज मदकू दीप से जैसे ही बाहर आते है। वे सारे चीज नहीं दिखते। वहां की जो जय विविधता है उनको हमको संभाल के चलना पडेगा। उनका संरक्षण हमारे मानव धर्म का पहला धर्म है। हमारे इस पर्यावरण में रहने वाले सारे जीव–जन्तु उनकी रक्षा हमारे मानव को बुद्दि के साथ पैदा किया ऊपर वाले ने सारे बुद्दि का इस्तेमाल किया, सारे लोगों का ध्यान देना पडेगा। जय विविधता है मदकू में साथ ही जो कि खोदाई से निकले सातवी सताब्दी के मंदिर है माण्डूलिपि का है, वो तत्व भूमि है। कितनी आस्था करने वाला है। वहां मेला होता है वहां पे शिवाजी के टाईम पे तीन दिन सदभावना मेला लगता है। वहां से आस्था के साथ कावर उठा कर सरगांव के स्थापित शिवजी में जल अर्पित करते है। इससे लोगों के जन भावना को कितना दुषप्रभाव होगा। आपको अवगत करा दूं मैं आप चले जाईये जैसे मनियारी सकेत के लिए आगे बढियेगा। वहां पे वासुदेव ट्रेडलिंक व कुसुम प्लांट है वहां रोड की स्थिति आप देखेंगे। तो आपको एहसास हो जायेगा। आप अधिकारी बैठे है। आपको जाना होगा तो यही से जा के देखिए। आप की गाडी 4 किलोमीटर 40 मिनट में पहुंचेंगे। ये स्थिति होती है और हमारा लगा हुआ लम्ती, कछार है दारूवनकांपा से आयेंगे इसी माण्ड से आयेंगे तो जहां पर प्लांट लगेगा तो आपकी गाड़ीयां रहेंगी बड़ी–बड़ी आपकी गाड़ी 12 चक्का, 20 चक्का की जो आसानी से निकल जायेगी। परंतु हमारी गाड़ी 2 चक्की की, 4 चक्का की ट्रेक्टर होगा, बैल होगा, तरह–तरह की गाड़ी उनको आने में परेशानी होगी। क्योंकि प्लांट स्थापित होने के बाद आपके प्लांट लगाने वाले कुछ नहीं सोचेंगे किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए मैं अपना पुरजोर विरोध करता हूॅ। यहां पर प्लांट यहां पर स्थापित नहीं किया जाये। राज्य सरकार द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्र घोषित है उस जगह में प्लांट लगाया जाये।

70. **श्री नेहरू साहू, ग्राम–सरगांव** :– मेरा स्टील प्लांट के प्रति विरोध दर्ज करता हूॅ। इस क्षेत्र में जो स्टील प्लांट लगाया जा रहा है। ये औद्योगिक क्षेत्र है कृषि जमीन है। पर्यावरण के लिए जो हमारे किसान भाई है। यहां पर जो रहते है निवासी है। उनके लिए नुकसानदायक है। यहां सारे लोग खड़े है कोई नहीं चाहते कि ये प्लांट यहां पर बनाया जाये। सारे भाई–बहन इकट्ठा हुए है। इस प्लांट के विरोध करने के लिए और मेरा भी विरोध प्रदर्शन कर रहा हूॅ जिसे मैं यहां पर जो प्लांट लगने वाला है वो न लगे।

71. श्री शिव कुमार घृतलहरे, ग्राम–मदकूदीप :– यहां प्लांट नहीं लगना चाहिए। मदकू दीप में मेला भरते पुषपुन्नी मा, वर्ल्ड मा फेमस चर्चा है यहां। वहां पेड हे नदिया के ऐ पार मा नहीं हे, वो कैसे पेड़ हवय वो पेड़ मर जाही। तो पूरा दीप धोआय जाही। फैक्ट्री बिल्कुल मत लगे। ऐ हमन के विचार हवय।

72. श्री संतोष कुमार घृतलहरे, ग्राम–उमरिया, भूतपूर्व सरपंच :– मैं 2020 मा सरपंच रहव। सरपंच रहव आप मन के मैं एक बात लाना चाहत हव। मोर गांव के आसपास रमतला, खटला, रंगोला, उमरिया, ककेडी और रामपुर के सात गांव ये नौ गांव ऐसे हे कि जहां के पानी कडवा मीठ लगत हे। वहां पानी पीये के लाईक नहीं हवय। अभी कि स्थिति में हर महिला मन खेत मा जाके उघरा–उघरा के दिन भर पानी भरय। वो परिस्थिति ऐतना जटील रहीस हे कि आज भी देख ले आज भी परिस्थिति जटील हवय। वो परिस्थिति देखे के बाद ये कर देहे कि राज्य ग्रव्रमेंट वो समय लोकल पीएचई विभाग के संपर्क मा ऐसने व्यवस्था नहीं रहीस हे। यहां पानी नमकीन रहीस यहां पानी पीने योग्य नहीं है। कि ये परिस्थिति में इतना लिखा पढी करेन कि ग्रव्रमेंट के पास भी पैसा उपलब्ध नहीं रहय ये जो पानी के भरोसा करे हे सेन्ट्रल ग्रव्रमेंट ध्यान देही तब संभव हवय। पीएचई विभाग से मिलकर एक लंबा आवेदन दिल्ली सरकार तक भेजेगी। दिल्ली सरकार ला कम से कम 09 महीना लगीस, 09 महीना के बाद हमला करोड़ो के स्वीकृति मिलीस। पानी के लिए व्यवस्था की जाही पेयजल के लिए वो समय हमर 09 गांव के लिए एक सुविधा बनाही और 1 करोड़, कुछ करोड़ रूपय वहां पर रखे रहीस हे। स्वीकृति के बाद ऐसे हे कि स्वीकृति के बाद मनियारी डेम से छोटे से स्टाप डेम बने हे वहां से पानी सप्लाई होकर जाही उमरिया, केकडी, धमनी सब ला पहुंचा देही। धीरे–धीरे पानी वो सरकार बदल गये, सत्ता बदल गये सत्ता बदल गये प्रशासन बदलिस। धीरे–धीरे वोखर व्यवस्था ऐसे खराब हो गईस। उस व्यवस्था मा पानी पीने योग्य इकट्ठा मा जगह नहीं बचिस फिर वो प्रोजेक्ट धीरे–धीरे विलंब होते–होते आज वो ऐसे स्थिति पहुचिस है कि आज ग्रव्रमेंट के पास की शिवनाथ नदी मा पर्याप्त पानी हे। ये पानी वहां पहुचाये के लिए पर्याप्त है। पानी पहुचाये जाये। ये पानी पहुचाये से ही वो गावं के पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध होही। ये तारीख चुने गये हे, ऐ जगह चुने गये हे, यहां पर्याप्त पानी है आज की तारीख में पेयजल की व्यवस्था 19–20 गांव के लिए स्वीकृति होई हे। वो पानी के अगल बगल मा स्टील प्लांट में लगत हे उसमे ऐसे विषैला प्रदार्थ जलही वो कतका पीने योग्य रईही हमर 14–15 साल के मेहनत के बाद भी आज लगत हे कि जो हमन मेहनत करे वो निरर्थक हे। हमर बगल मा फैक्ट्री हो गईस हमर पानी ला दूषित कर दिस। हमर मन के विशेष

करके पेयजल के लिए बहुत बडे नुकसान है। हमर क्षेत्र के लिए बहुत बडा संकट पैदा करे वाला है। हमन ये बात को आप मन के सामने रखना चाहत हन। हमन स्टील प्लांट के पुरजोर करत हन। तो हमन ला ऐ स्टील प्लांट के आवश्यकता नहीं है। हमला पेयजल के बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

73. **श्री मुकेश साहू, ग्राम—सरगांव** :— ये प्लांट लगे के बात मोला ऐसा प्रतीत होवत हे। ये शिवनाथ नदी से शुद्व पानी ला ग्रहण करही। ओखर बाद पानी ला प्रदूषित करके शिवनाथ नदी मा डाल दी जाही। ओखर बाद ओ प्रदूषित पानी ला ये जो 300 करोड़ जल संसाधन योजना के तहत् नलकूप के द्वारा 20—50 घरो—घर मा जो जल योजना हे वही घरो घर मा पोसही। सीधा—सीधा नरसंहार है जी, महतारी बहनी मन ला पूछत हव, कौन—कौन अपन लईका मन के साथ अपन लईका मन के जीवन के साथ ऐसना खेलवाड़ करना पसंद करही। कोई नई करय। तो कितना झन पक्ष मा हो, ये प्लांट डलना चाहिए। कितना झन विपक्ष मा हो। कौन है पक्ष मा प्लांट डलना चाहिए। ये प्लांट नहीं डलना चाहिए। इस प्लांट का पुरजोर से विरोध करते है। ये आने वाले भविष्य में नरसंहार की तैयारी है। जल प्रदूषण के तहत् और वायु प्रदूषण के तहत्।

74. **श्री विनोद राय, ग्राम—लम्ती** :— अभी हमर गांव के पेयजल, ट्यूबवेल, नल, पंप लगे हे 250 मा मोटर नहीं उठावत हे। आज कहीं ये आज ये प्लांट खुल जाही। तो हमर पेयजल के क्या सुविधा होये हे। साथ ही साथ हमर बडे भईया बोलीस हे कि नदिया दूषित होही। गाय—गरूवा, चिड़िया वो पानी ला पीही तो मरबेच करही। हमर लईका मन नहावत हे वो भी मर जाही। ऐखर सेती हम सब आदरणीय ये प्रकार से यहां प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। न ये प्लांट खुलना चाहिए। सुविधा नहीं होगा सर कहां सुविधा होगा सर। जब तक यहां प्लांट होगा जब तक ये जमीन है। राख उड जायेगा भाई हमारे गांव का पूरा अंचल खराब हो जायेगा। यहां हम गुजरेंगे तो पूरा बर्बाद धूल—धक्कड़ आने वाला कच्चर हो जायेगा। तो कहां से हम आना जाना करेंगे। ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। हाथ जोडकर बिनती है भईयां आप लोग के साथ आर्शीवाद है और इस प्रयोग के प्रभाव से ये मैं बोल रहा हॅू। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।

75. **श्री होरीलाल बंजारे, ग्राम—लम्ती** :— यहां प्लांट खुलना ही नहीं चाहिए।

76. श्री भागचंद, ग्राम–बारगांव :– हमर ऐखर विरोध है। ये फैक्ट्री हमर गांव के आसपास नहीं लगना चाहिए। एक ठीक फैक्ट्री लगीस दारू के हमर गांव के तीर मा जेकर से हमला बहुत प्रभावित होवत हे। रोड बनहीं, स्कूल बनही ऐसने कहके हमला झासा दे दीस। स्कूल, न गार्डन, कोई प्रकार के सुविधा नई मिलही पिछले साल फैक्ट्री के पानी नदिया मा ढील देहीस जिससे हम नाहान और खुजली हो जावत रहीस। सबला मै कहना चाहत हव कि फैक्ट्री लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। फैक्ट्री लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए।

77. श्री जीवन लाल कौशिक, अध्यक्ष हरिहर क्षेत्र, ग्राम–मदकूद्वीप :– प्रस्तावित परियोजना मेसर्स एल एन स्टील एण्ड एलाय प्रा. लि.ग्राम–बडियाडीह एवं लम्ती, तहसील–सरगांव, जिला–मुंगेली, मेसर्स एल एन स्टील एण्ड एलाय प्रा. लि.ग्राम पंचायत बडियाडीह में जो कि पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में आपत्ति है। उक्त विषय के अनुक्रम में हमारी आपत्तियां निम्नानुसार है। यह पूरा औद्योगिक परिसर प्रसिद्व पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थल से हरीहर क्षेत्र केदार जी मदकू क्षेत्र में 01 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं। मदकूद्वीप केवल शिवनाथ नदी की गोद में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। बल्कि यहां छत्तीसगढ़ की स्थिति पुरातत्व व धार्मिक भावनाओं का प्रतीक भी है। यहां प्राप्त शिलालेख प्राचीन मंदिर अवशेष इसकी ऐतिहासिक मान्यता को प्रमाणित करते है। श्री हरिहर जी छत केदार जी मदकू की विशेष दैविक विविधता है। इस क्षेत्र में अकोर, सिरो, घरो, खेतीकरी, खोखर उक्जीवा, पुटूर कारीभरभरेर, पास लोनिया व अन्य औषधी गुण वाले छोटे–बडे वृक्ष पाये जाते है। उक्त जो इस क्षेत्र के बाहर नहीं मिलते है। साथ ही द्वीप से मिलने वाले परसा, बबूल के पेड इस क्षेत्र में नहीं मिलते है। जो कि दीप क्षेत्र को वनस्पति विशेषताओं से परिपूर्ण करता है। प्रस्तावित स्टील प्लांट से निकलने वाला धुंआ, सल्फर डाई आक्साईड, नाईट्रोजन आक्साईड अन्य धातुऐ उडनशीलदार आसपास के वनस्पति और जीव–जन्तु गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। प्लांट के संचालन हेतु शिवनाथ नदी के जल का भारी मात्रा में दोहन होगा। जिससे नदी का जल स्तर घट सकता है। दूषित जल एवं औद्योगिक अपशिष्ठो के कारण नदी का जल दूषित होने का खतरा भी बढेगा। इससे जलहित जीवों की, मछलियों की प्रजातियां विलुप्त हो सकती है। ऐसे भारी उद्योगों को ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए। जहां जय विविधता, नदी की विविधता और सांस्कृतिक धरोहरो पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। हम मानते है कि औद्योगीकरण की आज आर्थिक इण्डस्ट्रीज की आवश्यकता है। किंतु प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरो की रक्षा हमारी स्वामित्व जिम्मेदारी है। मदकूद्वीप केवल एक पुरातात्विक

स्थल है। बल्कि हजारो लोगों की आस्था एवं पहचान का केन्द्र है। अत आप से निवेदन है कि उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए मेसर्स एल एन स्टील एण्ड एलाय प्रा. लि. ग्राम–बडियाडीह में स्थापित किये जाने वाले स्टील उद्योग की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान न किया जावे। उचित होगा कि इसको किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाये। आवश्यक कार्य हेतु सूचना सादर आपके लिए प्रेषित है।

78. **श्री आकाश घृतलहरे, ग्राम–मदकू** :– कंपनी के प्रबंधक महोदय है ये दोनो तरफ बैनर पोस्टर लगाये हे। न ओला कोई समझ पावत हे कुछ नई। जन सुनवाई है। बैठे है अधिकारी मन, ओखर पीछे कोई बोर्ड लगे है कोई समझ नहीं पावत हे, क्या चीज बर लगे हे। जब हमन सुने हन एक दूसरे से तभी तो हमन आए हन। कंपनी के पूर्ण रूप से विरोध करना है। विरोध ऐखर सेती करना है कि हमर जो गांव है। मदकू दीप जो जानत हे ये विश्व प्रसिद्व है। आसपास के जो भी पर्यावरण है। सारी चीज हमला ही तकलीफ है हमर बच्चा मन मन तकलीफ है, आने वाले सियान बर तकलीफ है, ऐसे बहुत से चीज है जिससे हमला जूझे पडही। हमन शासन प्रशासन से यही निवेदन करथन। जो भी पर्यावरण विभाग है इसू करे हव, वापस लेव और तत्काल प्रारंभ से ऐला रोक लगाओ। ताकि ये चीज हमर आसपास न खुलना चाहिए। जहां औद्योगिक क्षेत्र है वहां खुले बिलासपुर मा सिरगिट्‌टी है, रायपुर मा सिलतरा आसपास में खुले। वहां खुले।

79. **श्री धन्नू लाल बंजारे, ग्राम–दारूवनकांपा** :– निवेदन करता हूॅ कि यहां फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। खुलने पर, जिस प्रकार दारू भटठी धूमा में खुला है। उसका पानी अमरैया घाट तक प्रदूषित हुआ उसके बारे में कोर्ट हुआ। आज तक उसका क्या हुआ कुछ नहीं हुआ। पैसा है जिसका सब है समझ रहे हो न मेरे बात को। इसलिए खोलने के लिए अनुमति न दे। अतः निवेदन है सब साथियों से फैक्ट्री के नामो निशान नहीं रहना है। आप लोगों से निवेदन है फैक्ट्री खुलना है कि नई खुलना है।

80. **श्री सुनिल कुमार कुर्रे, ग्राम–दारूवनकांपा** :– यहां फैक्ट्री यहां खुलना चाहिए। रोजगार भी मिलेगा।

81. **श्री अशोक कुमार कौशले, ग्राम–दारूवनकांपा** :– यहां फैक्ट्री खुलना जरूरी है। फैक्ट्री यहां खुलना जरूरी है तब यहां जीयेंगे। नही तो भूखे मर जायेंगे।

82. **श्री राजकुमार, ग्राम–दारूवनकांपा** :– ये फैक्ट्री खुलना चाहिए। हम लोग बाहर जाते है हम लोग को यही रोजगार मिलेगा। सीधी बात है फैक्ट्री तो खुलना है तो खुलना है।

83. **श्री अन्नपूर्णा पुरूषोत्तम, पचं ग्राम–गोडही** :– मेरी पंचायत टीम आई हुई है। जिस प्लांट के संबंध में हम लोग आए है। नदी, सामने नदी है नदी का प्रवाह सबसे पहले राजपुर और गोडही में जाता है। किसी प्रकार का डस्ट केमिकल अगर जाता है। हमारा मेन स्त्रोत है कृषि, तो कृषि में थोडा बहुत व्यवधान होगा। या फिर उस जल को पीने लायक न होगा तो पीने लायक नहीं रहेंगे। इसी से जल पीने के लिए जाता है। कृषि का मुख्य साधन शिवनाथ नदी है। किसी प्रकार का केमिकल अगर जाता है। तो पूरे किसान को वहां कुछ न कुछ नुकसान होता है। यही आवेदन लेकर हम लोग आपके समक्ष आए है और कोई पंचायत जितने भी हमारे गांव के किसान है।

84. **श्रीमती अन्नपूर्णा वैष्णव, ग्राम–गोडही** :– पंचायत गोडही से हूँ। पानी नदी में केमिकल वो नहीं आना चाहिए। उस विचार से आए है।

85. **श्री कांतीराम वर्मा, ग्राम–अकोली** :– परसो हम लोग एप्लीकेशन सरगांव तहसील में दिये थे। कलेक्टर के यहां गये थे। हम लोग चाहते है कि फैक्ट्री न खुले। क्योकि हम लोग आसपास गांव से जुडे है सामने वाले से कृषि कार्य प्रभावित होगा। सामने पीने के पानी का समस्या होगा। हम लोग चाहते है कि ये नहीं खुलना चाहिए।

86. **श्री भरतलाला वर्मा, ग्राम–कढ़ार** :– फैक्ट्री खुलीस हे एक फैक्ट्री से हजारो किसान के जिंदगी के सवाल है। किसान जितका डबल फसल लेथन। अगर यहां प्रदूषण होही किसान के जमीन पडतीला हो जाही। वो अपन जिंदगी नहीं जी पाही। ऐखर कारण एक के नाम से हजार किसान ला बलिदान देहे सरकार हा हमला अधिकारी/कर्मचारी सरकार से यही मांग है कि फैक्ट्री यहां नहीं होना चाहिए। हमन नदी से आश्रित हन, किसानी से आश्रित हन। ऐखर कारण ऐखर घोर विरोध करतथन। ग्राम पंचायत अमलीडीह, ग्राम पंचायत कुवरखान, ग्राम पंचायत परसवानी, ग्राम पंचायत अकोली, ग्राम पंचायत गोडही, ग्राम पंचायत लम्ती, ये सभी पंचायत के सरपंच कलेक्टर साहब ला परसो जाकर आवेदन दिये हन। तहसीलदार सरगांव ला आवेदन दिये हन। आज भी शिविर के माध्यम से विरोध दर्ज करथन। कि यहां फैक्ट्री नहीं होना चाहिए। जबकि सरकार के पेयजल के व्यवस्था पहली से पास है।

ये हटा के ये फैक्ट्री वाले काम गलत है। ऐखर विरोध दर्ज करथन सादर प्रार्थना है।

87. **श्री हिमितराम वर्मा, ग्राम–परसवानी सरपंच** :– मैं ये प्लांट के विरोध करथ हव, ग्राम पंचायत परसवानी के तरफ से।

88. **श्री रोशन कुमार बंजारे, ग्राम–लम्ती, वार्ड क्रमांक 10 पंच** :– मैं इस प्लांट का पुरजोर विरोध करता हूॅं। यहां बैठे समस्त नागरिक 99 प्रतिशत सब इसका विरोध कर रहे है। 1 प्रतिशत है जो इसका समर्थन कर रहे है। 1 प्रतिशत वो है जो समर्थन कर रहे है जो बिक चुके है। बाद में उनको खूब परेशानी होगा न। अभी तो बिक गये है बाद में खूब पता चलेगा कि क्यू बिके है।

तत् पश्चात् लगभग 3:00 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–मुंगेली द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 28 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई तथा लोक सुनवाई उपरांत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, जिला–मुंगेली एवं तहसीलदार, कार्यालय तहसीलदार सरगांव, जिला–मुंगेली के माध्यम से इस कार्यालय को 04–04 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर लिखित एवं मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी व्यक्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 88 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 200 व्यक्ति उपस्थित थे। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–मुंगेली (छ.ग.)